न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 109/2021
जीसीएमएस संख्या 2021/186 निर्णय दिनांकः– 09-07-25

1. जेठाराम पुत्र प्रभूराम जाति हरिजन हाल निवासी चक 2 जेएडडब्ल्यूएम तहसील छत्तरगढ जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 18–08–1983
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़

उपस्थितिः–
1. श्री सन्तनाथ योगी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 18–08–1983 जिसके द्वारा अपीलांट को बिना सुने बिना नोटिस दिये एकतरफा आदेश पारित किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् को दिनांक 30–01–1976 को बतौर भूमिहीन आवंटन अधिकारी द्वारा तहसील छत्तरगढ के चक 2 जेडडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 11/39 की 20 बीघा भूमि आवंटन की गई थी। अपीलांट अपने आवंटन के पश्चात से ही आवंटित भूमि पर काबिज काश्त है तथा अपना जीवन निर्वाह कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश से अपीलांट को आंवटित भूमि का आवंटन इस आधार पर निरस्त कर दिया कि अपीलांट/प्रार्थी का पेशा कृषि नहीं होकर सिलाई का कार्य है। अपीलांट का मुख्य कार्य कृषि का ही है तथा किसी व्यक्ति द्वारा रंजिशपूर्वक अपीलांट के आवंटन की शिकायत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी प्रकार की जांच किये अपीलांट का आवंटन निरस्त कर दिया जो विधिसम्मत नहीं है। अपीलांट ने आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया तथा ना ही सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा पारित किया गया है। ऐसे एकतरफा पारित आदेश में मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी से अपील अंदर मियांद प्रस्तुत की गई है जिसकी पुष्टि हेतु अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियादं अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–08–1983 के विरूद्ध अपील दिनांक 10–08–2021 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट् को आवंटित भूमि भूमिहीन श्रेणी में आवंटित की गई थी तथा अपीलांट का पेशा कृषि कार्य नहीं होकर सिलाई का कार्य होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटित भूमि खारिज की गई है। ऐसी स्थिति में अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–08–1983 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्ध अपील 10–08–2021 को करीब 38 वर्षो बाद पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। मियांद प्रार्थना पत्र को कण्डोन करने के जो कारण अंकित किए गये हैं वो संतोषजनक कारण की परिभाषा में नहीं आते है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष बतौर भूमिहीन श्रेणी के आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को दिनांक 30–01–1976 को अपीलांट को चक 2 जेडडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 11/39 की 20 बीघा आवंटित की गई। तत्पश्चात दिनांक 01–01–1981 को अपीलांट के आवंटन के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर पत्रावली पुनः पेशी में ली गई। उक्त शिकायत में प्रार्थी/अपीलांट के नाम सिलाई की दुकान होने के कारण अपीलांट को आवंटित भूमि खारिज किये जाने की इस्तदुआ की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पेशी में लिये जाने के पश्चात

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट/अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा संबधित तहसीलदार को जांच प्रतिवेदन भिजवाया गया जिस पर अपीलांट को तामील होने के पश्चात अपीलांट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/शिकायतकर्ता की शिकायत पर अप्रार्थी/अपीलांट को सुना जाकर दिनांक 25–08–1983 को अपीलांट का आवंटन निरस्त किया गया जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा वर्ष 1985 में ही न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर में अपील प्रस्तुत कर दी गई उक्त अपील दिनांक 26–10–1985 को खारिज कर दी गई। जहां तक अपीलांट का यह प्रश्न है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–08–1983 का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–08–1983 में अधीनस्थ न्यायालय ने अंकित किया है कि "**पत्रावली प्रस्तुत। अप्रार्थी के वकील की ओर से श्री लालचंद अरायजनवीश ने आगामी पेशी हेतु प्रार्थना पत्र दिया। मौका दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 25–08–1983 को पेश हो।**" उक्त आदेश अपील योग्य आदेश किस प्रकार से है क्योंकि उक्त आदेश में केवल मात्र अपीलांट को शिकायत प्रार्थना पत्र की बहस हेतु अवसर प्रदान किया गया है एवं अपीलांट/अप्रार्थी की तरफ से अभिभाषक ने स्वयं अवसर प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। ऐसे में अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर कैसे पारित किया गया यह साबित करने में अपीलांट असफल रहे है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 25–08–1983 को अप्रार्थी/अपीलांट को सुना जाकर आदेश पारित किया गया है जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा समकक्ष न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर दी गई थी तो ऐसे में यह बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–08–1983 की प्रथम जानकारी दिनांक 12–07–2021 को प्राप्त हुई है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियांद अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज किया जाता है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्पष्ट तौर मियांद बाहर प्रस्तुत किये जाने के बिन्दु पर खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ का आदेश दिनांक 18–08–1983 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 09-07-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर